बिहार सरकार
श्रम संसाधन विभाग
आदेश

श्री मेघ लाल साह, पिता–श्री भुनेश्वर साह, ग्राम–पड़ेरीया थाना–हवेलीखड़गपुर (गंगटाँ मोड, आ0पी0) द्वारा दिनांक–30.07.2014 को पुलिस अधीक्षक–सह–थाना अध्यक्ष, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना को इस आशय का परिवाद–पत्र दिया गया था कि अंचलाधिकारी, टेटियाबंबर, मुंगेर द्वारा मुझसे रिश्वत की माँग (रू0, 10,000/– दस हजार) की माँग की गई थी कि यदि आप पैसा नहीं देगें तो आपके हिस्से की जमीन के दाखिल–खरिज को दूसरे के नाम से दाखित–खारिज कर देगें। इस परिवाद–पत्र का सत्यापन, सत्यापन पदाधिकारी से कराये जाने के पश्चात् निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा धावादल का गठन किया गया और धावादल द्वारा दिनांक–08.08.2014 को आपको परिवादी से रू0, 5000 (पाच हजार रूपये) रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया। साथ ही रिश्वत की राशि दिये जाने के क्रम में कमरे की तलाशी के दौरान गिरफ्तारी स्थल के कमरे में रखे गये आलमारी से रू0, 22,000/– भी बरामद हुए थे यह बात उनके विरूद्ध दायर एफ0आई0आर0 में भी दर्ज है। आरोपित पदाधिकारी को निगरानी थाना काण्ड सं0–047/2014 दिनांक–08.08.2014 में प्राथमिकी अभियुक्त बनाते हुए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा मामला दर्ज किया गया और दिनांक–09.08.2014 को कारावास भेज दिया गया। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, पटना द्वारा निगरानी थाना कांड सं0–047/2014 दिनांक–08.08.2014 दायर करने और आरोपित को कारावास भेज दिये जाने के क्रम में उन्हें गिरफ्तारी की तिथि–09.08.2014 से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमवली, 2005 के भाग–iv के नियम–9 (2) (क) में किये गये प्रावधान के अन्तर्गत आदेश ज्ञापांक–2642 दि0–05.09.2014 द्वारा निलंबित किया गया।

संदर्भित मामले में प्रशासनिक प्राधिकार के स्तर पर आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोपपत्र प्रपत्र–'क' गठित करते हुए आरोपपत्र प्रपत्र–'क' का तामिला कारा अधीक्षक, आदर्श केन्द्रीय कारागार, बेऊर, पटना के माध्यम से कराते हुए आरोपों के संदर्भ में उनसे स्पष्टीकरण की माँग की गई ।

इसी प्रसंग में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के पत्रांक–SR-047/2014 वि0–2208 अप0 शाखा दि0–29.08.14 द्वारा दायर निगरानी थाना काण्ड सं0–047/2014 दिनांक–08.08.2014 में भ्र0नि0अधि0, 1988 की घारा–7/13(2) –सह–पठित घारा–13 (1)(डी) के अन्तर्गत आरोपित पदाधिकारी को प्राथमिकी अभियुक्त बनाये जाने एवं भ्र0नि0अधि0 की घारा–19 के तहत अभियोजन चलाये जाने हेतु अभियोजन स्वीकृति की माँग की गई। उक्त आलोक में Criminal Procedure Code की घारा–197 में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश ज्ञापांक–2781 दि0–19.09.2014 द्वारा अभियोजन चलाये जाने की स्वीकृति दी गयी।

इनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में दायर Criminal Miscellaneous वाद सं0–45918_____/2014 में दिनांक–04.02.2015 को पारित आदेश में जमानत पर रिहा होने (06.02.2015) के पश्चात दिनांक–09.03.2015 को श्रम संसाधन विभाग में योगदान दिया गया। इन्हें आदेश सं0–862 दिनांक–20.03.2015 द्वारा निलंबन से मुक्त करते हुए दिनांक–09.03.2015 से योगदान स्वीकृत किया गया।

इनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किये जाने के क्रम में आदेश ज्ञापांक–863 दिनांक–20.03.2015 द्वारा निलंबित करते हुए आदेश ज्ञापांक–876 दिनांक–20.03.2015 द्वारा निम्न आरोपो के संदर्भ में विभागीय कार्यवाही संचालित की गई :–

1. श्री मेघलाल साह, पिता–श्री भुवनेश्वर साह, ग्राम–पड़ेरिया, थानाा–हवेलीखडगपुर (गंगटामोड़ ओ0पी0) जिला–मुंगेर से रू0, 5000/–(रूपये पाँच हजार) रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–08.08.2014 को रंगे हाथ पकडा जाना।
2. निजी स्वार्थ में अपने सरकारी पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्ट आचरण किया जाना ।
3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में किये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना।
4. भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 में स्थापित धाराओं का उल्लंघन किया जाना।
5. सरकारी कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में स्थापित नियमों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।

संचालित विभागीय कार्यवाही में उप श्रमायुक्त, पटना (श्री अरविन्द कुमार) को संचालन पदाधिकारी एवं श्रम अधीक्षक, मुंगेर को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्ति किया गया। संचालित विभागीय कार्यवाही में विभिन्न तिथियों को सुनवाई का कार्य सम्पन्न करते हुए, विभागीय कार्यवाही के सुनवाई के दैरान आरोपित पदाधिकारी द्वारा समर्पित लिखित बचाव बयान एवं प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा समर्पित मन्तव्य के समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–3103 दिनांक–23.11.2015 द्वारा प्रशासनिक प्राधिकार को अधिगम समर्पित

किया गया है। समर्पित अधिगम में संचालन पदाधिकारी द्वारा आरोपी, को पोस्ट ट्रक मेमोरैडम जो पुलिस उपाधीक्षक–सह–धावादल प्रभारी, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के द्वारा हस्ताक्षरित है के पृ0, 2/प0 के अंतिम पारा में उल्लेखत स्थिति एवं पोस्ट ट्रैप मेमोरैण्डम के पृ0, 3 के अंतिम पारा में उल्लेखित स्थिति से पैसा कहाँ से प्राप्त हुआ तथा कहाँ से गिरफ्तार किया गया की स्थिति अस्पष्ट है। साथ ही जो आरोपित पदाधिकारी को संदेह का लाभ देता है।

संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित अधिगम से असहमत होते हुए असहमति के बिन्दु उल्लेखित करते हुए पत्रांक–3696 दिनांक–30.08.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी को पुनः जाँच करने का निदेश दिया गया।

उक्त प्रसंग में विभिन्न तिथियों को सुनवाई का कार्य सम्पन्न करते हुए संचालन पदाधिकारी के पत्रांक–1194 दिनांक–19.12.2016 द्वारा प्रशासनिक प्राधिकार को अधिगम समर्पित किया गया। समर्पित अधिगम में परिवादी से रू0, 5000/– (पाँच हजार रूपये) रिश्वत लिये जाने तथा निगरानी धावादल द्वारा रंगे हाथ पकड़े जाने की बात को तथ्यों एवं साक्ष्यों(प्री ट्रैप/पोस्ट ट्रैप मेमोरेण्डम/दायर एफ0आई0आर0 एवं अनुसंधान पदाधिकारी के प्रतिवेदन) के आलोक में सत्य पाया गया।

इनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप भ्र0नि0अधिनियम,1988 में स्थापित धाराओं का उल्लंधन है/निजी स्वार्थ में अपने सरकारी पद का दुरूपयोग है तथा साथ ही इनका यह कृत्य बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में लोक सेवक के लिए निर्धारित प्रावधान के विपरित कार्यवाई भी है जो सरकारी सेवक के लिए उचित नहीं है।

उक्त संदर्भ में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के भाग–v। के नियम–17 एवं 18 में किये गये प्रावधान एवं नैसर्गिक न्याय के तहत दण्ड अधिरोपित करने के पूर्व आपसे पत्रांक–1105 दि0–21.03.2017 द्वारा द्वितीय कारणपृच्छा की गयी ।

उक्त प्रसंग में आपके द्वारा माँगे गये कागजात पत्रांक–2691 दिनांक–03.05.2017 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। आपके द्वारा पुनः कागजात की माँग की गयी जिसे पत्रांक–2945 दिनांक–23.05.17 द्वारा उपलब्ध करा दिया गया। इस प्रसंग में पुनः आपके द्वारा कागजात की माँग की गयी इस प्रकार स्पष्टतः यह स्थापित होता है कि आपको प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में पूछे गये (पत्रांक–1105 दि0–21.03.2017) द्वितीय कारण पृच्छा पर कुछ भी नहीं कहना है। कागजात प्राप्त नहीं होने का बहाना बना रहें है जो स्वीकार योग्य नहीं है।

आपको विभागीय कार्यवाही में सुनवाई के दौरान संचालन पदाधिकारी द्वारा आपको अपना पक्ष रखने हेतु पर्याप्त अवसर दिया गया और प्रशासनिक स्तर पर भी आपको प्रमाणित आरोपों के संदर्भ में अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिया गया और माँगे गये कागजात भी उपलब्ध कराये गये परन्तु आपके द्वारा अपना पक्ष नहीं रखा गया।

आपके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में निम्न गठित आरोप जो गंभीर प्रकृति के है और जाँच में गठित आरोप स्पष्ट रूप से प्रमाणित पाये गये हैः–

1. श्री मेघलाल साह, पिता–श्री भुवनेश्वर साह ग्राम–पड़ेरिया, थानाा–हवेली खडगपुर (गंगटामोड़ ओ0पी0) जिला–मुंगेर से रू0 5000/–(रूपये पाँच हजार) रिश्वत लेते हुए निगरानी धावा दल द्वारा दिनांक–08.08.2014 को रंगे हाथ पकडा जाना।
2. निजी स्वार्थ में अपने सरकारी पद का दुरूपयोग एवं भ्रष्ट आचरण किया जाना ।
3. बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में किये गये प्रावधानों का उल्लंघन किया जाना।
4. भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 में स्थापित धाराओं का उल्लंघन किया जाना।
5. सरकारी कार्यों के निष्पादन के संदर्भ में स्थापित नियमों के विरूद्ध कार्रवाई किया जाना।

आपके विरूद्ध प्रमाणित आरोप जहाँ एक ओर गंभीर प्रकृति के है वही दुसरी ओर भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 में किये गये प्रावधानों के विपरित कार्रवाई के साथ–साथ बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 में किये गये प्रावधान के विपरित कार्रवाई है। प्रमाणित आरोप लोक हित से जुड़े हुए हैं और आपका कृत्य आपराधिक कार्य से जुड़ा हुआ है और आपका आचरण भ्रष्ट है और पद के दुरूपयोग का द्योतक है। उपर्युक्त संदर्भ में आपको आगे सेवा में बनाये रखना उचित नहीं है।

फलतः अधोहस्ताक्षरी संतुष्ट हैं कि श्री संजीत बागची के विरूद्ध गठित आरोप पूर्णतः प्रमाणित है तथा उनका आचरण सरकारी सेवा में आगे बनाये रखे जाने योग्य नहीं है।

अतः बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील), नियमावली, 2005 के नियम के भागः–v के नियम–14 (xi) में अंतर्निहित प्रावधानों के आलोक में **श्री संजीत बागची, तत्कालीन अंचलाधिकारी, टेटिया बंबर, (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग) जिनकी वरीयता क्रमांक–364 है, जन्म तिथि–24.02.1966, नियुक्ति तिथि–25.03.1998 तथा गृह जिला–वैशाली है को तात्कालिक प्रभाव से सरकारी सेवा से बर्खास्त [DISMISSED]किया जाता है।**

श्री बागची को उनके निलंबन अवधि में देय जीवन निर्वाह भत्ता के अतिरिक्त कुछ भी देय नहीं होगा। श्री संजीत बागची के भविष्य निधि में संचित राशि के अंतिम भुगतान तथा ग्रुप बीमा योजना के तहत संचित भुगतेय राशि के अतिरिक्त अन्य कोई लाभ भुगतेय नहीं होगा।

उपरोक्त आदेश के साथ संचालित विभागीय कार्यवाही समाप्त की जाती है।

विश्वासभाजन

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–43/14 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना/मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–43/14 श्र0 सं0–– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि– श्री संजीत बागची, तत्कालीन अंचलाधिकारी, टेटियाबंबर, मुंगेर (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
द्वारा– श्रम अधीक्षक, मुंगेर

पत्राचार पताः– श्री संजीत बागची, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
(तत्कालीन अंचलाधिकारी, टेटिया बम्बर, मुंगेर)
A–12, सचिवालय कॉलोनी, केन्द्रीय विद्यालय के पश्चिम,
पो0–लोहियानगर, कंकड़बाग, पटना–800020 ।

स्थायी पताः–
श्री संजीत बागची, श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी
पिताः–स्व0 रंजीत बागची,
ग्राम–पूर्वी अनबरपुर,
थाना–हाजीपुर नगर
जिला–वैशाली(हाजीपुर)।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।

ज्ञापांक–5/आर0एल0–40–43/14 श्र0 सं0– पटना, दिनांक–
प्रतिलिपि–सहायक श्रमायुक्त, पटना को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
प्रतिलिपि–श्रम अधीक्षक, पटना/वैशाली को श्री संजीत बागची, तत्कालीन अंचलाधिकारी, टेटियाबंबर, मुंगेर (श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी संवर्ग) को बर्खास्त करने से संबंधित आदेश की अतिरिक्त प्रति प्रेषित।
2. आप निदेशित है कि इस आदेश का तामिला अपने स्तर से श्री संजीत बागची को उनके अवासीय पते पर तामिला कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

ह0/–
(गोपाल मीणा)
श्रमायुक्त, बिहार।